राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 801/2018

पवन जैन पुत्र श्री रेघुवर दयाल जैन, निवासी फिरोजपुर झिरखा, जिला नूंह, मेवात (हरियाणा)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. सरकार के संयुक्त सचिव, खान (समूह 2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. खनन अभियंता, भरतपुर, खान एवं भूविज्ञान विभाग।

---- प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री अश्विनी कुमार चोबिसा, वीसी के माध्यम से।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	मेजर आरपी सिंह, एएजी श्री शशि कांत सैनी के साथ, वीसी के माध्यम से।

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश

रिपोर्टेबल

06/01/2022

यह अपील सिविल रिट याचिका संख्या 1577/2017 में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित 18.01.2018 के आदेश के विरूद्ध निर्देशित की जाती है, जिसके तहत पट्टे को रद्द करने के विरूद्ध याचिका को आंशिक रूप से केवल इस हद तक अनुमति दी गई है कि पट्टे को रद्द करने के आदेश को बनाए रखते हुए, 19,50,000 रुपये की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

निर्णय के लिए आवश्यक अपील में शामिल विवाद को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी कुछ नियमों और शर्तों पर खनन पट्टा धारण कर रहा था। जब वह खनन कार्य कर रहे थे, तब कतिपय आरोप लगाए गए थे कि अपीलार्थी ने अनधिकृत रूप से पट्टे को तीसरे व्यक्ति के पक्ष में दे दिया था जिसके कारण अनधिकृत रूप से 15-04-

2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दायर किया, जिसमें उप-किराए के आरोप से इनकार किया गया और स्पष्टीकरण दिया गया कि अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता रावणों को इकट्ठा करने और दस्तावेजों के अलावा राशि जमा करने के सीमित उद्देश्यों के लिए थी। अपीलार्थी ने अधिकारियों के ध्यान ध्यान में यह भी लाया कि मौजूदा समझौता/पावर ऑफ अटॉर्नी को तुरंत रद्द कर दिया गया है। टेक चंद गर्ग और मो. रफीक, जिन्हें उप-पत्र देने की अनुमति दी गई है, को भी 15-04-2010 को रद्द करने के समझौते के साथ प्रस्तुत किया गया था।

तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को बंद नहीं किया गया था और बाद में 05.05.2015 को एक और नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को 19,50,000/- रुपये की राशि जमा करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर 1986 के नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अपीलार्थी ने फिर से उसी पर उत्तर दायर किया। अंत में दिनांक 12.06.2015 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा खनन अभियंता भरतपुर द्वारा अपीलार्थी के खनन पट्टे को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 16.06.2015 को एक और नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को याद दिलाया गया कि वह 19,50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो यह भूमि राजस्व की प्रतीत होगी।

अपीलार्थी ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे 17.10.2016 को भी निपटा दिया गया, जिसमें अपीलार्थी को पुनर्विचार याचिका पर निर्णय करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। अंत में, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 19.12.2016 को अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को जन्म देते हुए अपील को भी अपास्त कर दिया, जिसमें इस अपील में पारित आक्षेपित आदेश लागू किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस आदेश के द्वारा पट्टे को रद्द किया गया है, वह कई दोषों से ग्रस्त है जो आक्षेपित आदेश को कानून में अस्थिर बनाता है। पहला निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता को शुरू में 15.04.2010 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और बाद में 15.05.2015 को फिर से जारी नोटिस में लीज डीड को रद्द करने का प्रस्ताव नहीं था। यह तर्क दिया जाता है कि नोटिस में याचिकाकर्ता को केवल

19,50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी को उल्लंघन का दोषी ठहराने के बाद भी पार्टी ने केवल जुर्माना लगाने और पट्टे को रद्द नहीं करने के लिए अपने विवेक का उपयोग किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता की की दूसरी दलील यह है कि अन्यथा रद्द करने का आदेश 1986 के नियमों के नियम 18 (21) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकरण को दिए गए अधिकार क्षेत्र और अधिकार से अधिक है। अपनी दलीलों को विस्तार से बताते हुए, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया किया कि कार्रवाई करने का अधिकार केवल तभी प्राप्त किया जाता है जब पट्टा धारक उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहता है, जिसके संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। अपीलार्थी का मामला यह है कि जैसे ही नोटिस जारी किया गया, रफीक के पक्ष में मौजूद पावर ऑफ अटॉर्नी को 15 अप्रैल को ही तुरंत रद्द कर दिया गया और इस दस्तावेज को भी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष रखा गया। टेक चंद नामक दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता 31-12-2008 को प्राकृतिक निधन के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर चुका था। इसलिए, उल्लंघन को ठीक करने के बाद, अपीलार्थी के विरूद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता की तीसरी दलील यह है कि अपीलार्थी के उत्तर पर विचार करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्टीकरण को स्वीकार करके एक राय बनाई थी, जो महालेखाकार को अग्रेषित उसकी टिप्पणी में परिलक्षित हुई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से से कहा था कि स्पष्टीकरण स्वीकार किया गया था। इस तरह की राय बनाने के बाद, प्राधिकरण आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से नहीं बदल सकता था।

अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि लागू आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि प्राधिकरण ने नियम 18 (21) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कथित उल्लंघन के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है, लेकिन उसने महालेखाकार द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य किया है। यह आदेश पूरी तरह से निरर्थक है और इसमें कोई कारण या राय नहीं दी गई है कि प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पर कैसे पहुंचा कि अपीलार्थी ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे उसका पट्टा रद्द किया जा सकता है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य एआईआर 1978**

एससी 851, में प्रकाशित, रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ और अन्य में 2012 (4) एससीसी 407 में प्रकाशित, पुलिस आयुक्त, बॉम्बे बनाम गोर्धनदास भानजी ने 1952 (1) एससीआर 135, भीखूभाई विठलाभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य की रिपोर्ट एआईआर 2008, एससी 1771, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डेरियस शापुर शापुर चेनाई और अन्य 2005 (7) एससीसी 627,में प्रकाशित, मेसर्स क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान और अन्य ने 2010 (9) एससीसी एससीसी 496 में प्रकाशित निर्णय पर भरोसा किया।

दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को एक तीसरे व्यक्ति के पक्ष में अनधिकृत रूप से खनन पट्टे को उप-पट्टे पर देने के आरोप पर एक नोटिस जारी किया गया था, जो अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं था। वह प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी स्पष्टीकरण के साथ आया कि बाद में, उसने तीसरे पक्ष के साथ समझौते को रद्द कर दिया था, जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी ने उसके द्वारा किए गए उल्लंघन को स्वीकार किया था। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी था।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी ने टेक चंद के पक्ष में पट्टे के क्षेत्र की पेशकश की थी, पहले ही गंभीर उल्लंघन किया था और इसलिए उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि यद्यपि दिनांक 15.04.2010 के पहले नोटिस में जुर्माना की राशि का दस गुना करने का प्रस्ताव किया गया था, दूसरे नोटिस में जो 05.05.2015 को याचिकाकर्ता को दिया गया था, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि दंड की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अपीलार्थी बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद 19,50,000/- रुपये का भुगतान करने में विफल रहा, प्राधिकरण के पास पट्टे को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था जो कानून के तहत स्वीकार्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की अन्य दो प्रस्तुतियों पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि महालेखाकार को दी गई टिप्पणियों ने सक्षम प्राधिकारी की यह तय करने की शक्ति को नहीं छीना है कि पट्टे को रद्द करने का बनता है या नहीं। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश एक सकारण आदेश है और और हालांकि, इसमें विस्तृत कारण नहीं हो सकते हैं, संक्षेप में कारण आदेश में पाए जाते हैं

हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश गैर-मौखिक है या इसमें कोई कारण नहीं नहीं है।

पक्षकारों के अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि दिनांक 12.06.2015 के आक्षेपित आदेश के तहत पट्टे को रद्द करने का लागू आदेश कानून में अस्थिर है।

1986 के नियमों के नियम 18 (21) के प्रावधानों के तहत खनन अभियंता द्वारा कार्रवाई करने के अधिकार के स्रोत को गलत तरीके से लागू किया गया था। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "18 (21) (क) पट्टेदार की ओर से पट्टे में निहित किसी भी अनुबंध या शर्त के उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी पट्टे का निर्धारण कर सकता है और उक्त परिसर का कब्जा ले सकता है और सुरक्षा राशि को जब्त कर सकता है या वैकल्पिक रूप से पट्टे के वार्षिक मृत किराए की राशि के दोगुने से अधिक जुर्माना का भुगतान कर सकता है। इस तरह की कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि पट्टेदार 15 दिनों के नोटिस की सेवा के बाद उल्लंघन को दूर करने में विफल रहा हो;
>
> (ख) सरकार किसी भी समय उक्त नोटिस देने के बाद उक्त परिसर में प्रवेश कर सकती है और सभी या किन्हीं खनिजों या चल संपत्ति को इस तरह से ले जा सकती है, हटा सकती है या बिक्री का आदेश दे सकती है जो किराए या रॉयल्टी की संतुष्टि के लिए पर्याप्त हो और इसका भुगतान न करने के कारण होने वाले सभी खर्चों की लागत हो।
>
> नियम की एक निष्पक्ष और तार्किक व्याख्या यह होगी कि किसी मामले मामले में भी यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो प्राधिकरण केवल तभी कार्रवाई कर सकता है जब पट्टेदार 15 दिनों के नोटिस की समाप्ति के बाद उल्लंघन को हटाने में विफल रहा हो। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामले में में जहां उल्लंघन हुआ है और इसे 15 दिनों का नोटिस देकर पट्टा धारक के ध्यान में लाया गया है और यदि पट्टा धारक उल्लंघन को स्वीकार करता है लेकिन 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उल्लंघन को ठीक करता है, तो

तो प्राधिकरण के पास पट्टे के नियमों और शर्तों या नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर पट्टे का निर्धारण करने या कोई जुर्माना लगाने या पट्टे के विरूद्ध कोई अन्य प्रतिकूल कार्रवाई करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

जब दिनांक 15.04.2010 का नोटिस अपीलार्थी को दिया गया, तो अपीलार्थी ने तुरंत मोहम्मद रफीक 15-04-2010 के साथ मौजूदा समझौते को रद्द कर दिया।

टेक चंद और मो. रफीक दोनों को कारण बताओ नोटिस के उत्तर में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। टेक चंद और मो. रफीक दोनों को कारण बताओ नोटिस के उत्तर में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। यदि ऐसा है, तो यह स्पष्ट है कि खनन पट्टे पर किसी तीसरे व्यक्ति को संचालित करने की अनुमति देने के रूप में उल्लंघन को हटा दिया गया था जैसा कि कानून के तहत विचार किया गया था। इसलिए, प्राधिकरण के पास अपीलार्थी के विरूद्ध आगे की कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं था।

ठीक इसी कारण से, जब महालेखाकार के समक्ष एक टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर आया, तो खनन अभियंता ने नीचे रिपोर्ट दी:

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना	निदेशालय की टिप्पणी
1	पैरा संख्या-2 भाग-।।, अ	प्रावधानों के विपरीत खान पट्टे को उप पट्टे (किराये) पर दिये जाने से अनाधिकृत कार्यकरण द्वारा उत्पादित खनिज की 000 + 000 की वसूली बाबत।	एम.एल. नम्बर 698/2003 श्री मनोज जैन एम.एल. नं. 695/03 पवन जैन ने इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 1244, 1243 दिनांक 14.04.2010 से पट्टाधारी को बाबत् खनन पट्टा सबलेट किये जाने हेतु जारी किया गया। जिसके संदर्भ में पट्टराधारियों द्वारा दिनांक 23.04.2010 को हलफनामा प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा टेक चन्द	

			गर्ग पुत्र श्री बृद्धिराम निवासी फिरोजपुर झिरका को स्वयं के अन्य कार्यों में रवन्ना आदि लाने हेतु रखा हुआ था। वह लीज को न तो किराये पर दिया था न ही बेचा है (जिसकी फोटो प्रतियां संलग्न हैं।) वर्तमान में पट्टाधारी समस्त पावर ऑफ अटरनी को निरस्त करते हुए लीज की देखभाल स्वयं का रद्द इसरारनामा मध्य फरीकेन' प्रस्तुत किया है। फोटो प्रति संलग्न है। अतः पैरा निरस्त योग्य है।	

खनन अभियंता द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खनन अभियंता स्वयं उत्तर के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र से संतुष्ट थे और स्पष्टीकरण दिया गया था कि पट्टे की संपत्ति न तो बेची गई थी और न ही किसी और को पट्टे या किराए पर दी गई थी। प्राधिकरण ने पहले ही स्पष्ट रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने का उल्लेख किया है और अंत में राय दी है कि अवलोकन को रद्द करने की आवश्यकता है।

यह उस दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत है जो खनन अभियंता द्वारा अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष दायर किए गए उत्तर की प्राप्ति के बाद लिया गया था।

हम यह भी पाते हैं कि किसी भी मामले में, 12.06.2015 के आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहले अपीलार्थी को जारी किए गए किसी भी नोटिस में अपीलार्थी के पट्टे को रद्द करने का प्रस्ताव नहीं था। दिनांक 15-04-2010 के पहले नोटिस में उन्हें जुर्माना अदा करने का निदेश दिया गया था।

दिनांक 05.05.2015 के दूसरे नोटिस में भी उन्हें 19,50,000/- रुपये जमा करने के लिए कहा गया था, जिसका भुगतान नहीं करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब केवल यह था कि यदि वह राशि जमा नहीं की जाती है, तो यह पट्टे को रद्द करने

की कार्यवाही को जन्म दे सकता है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी के विरूद्ध लीज रद्द करने का प्रस्ताव करने वाला कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह एक अतिरिक्त कारण है कि लागू आक्षेपित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।

अंत में, दिनांक 12.06.2015 के आक्षेपित आदेश को देखने के बाद हम पाते हैं कि सक्षम प्राधिकारी ने अपना विवेक नहीं अपनाया है। पूरे आदेश में महालेखाकार द्वारा की गई आपत्ति का उल्लेख करने के अलावा, जो उल्लेख किया गया है वह कालक्रम है जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के लिए बिना किसी दिमाग लगाए आक्षेपित आदेश जारी किया गया।

आक्षेपित आदेश में यह कहा गया है कि जब दिनांक 05.05.2015 को नोटिस दिया गया था, तो 25.05.2015 को दायर उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था। यह स्पष्ट रूप से उस राय के विरूद्ध था जो पहले से ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई थी जो महालेखाकार के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत नोट से परिलक्षित होती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण ने इस आधार पर पट्टे को रद्द कर दिया कि 19,50,000/- रुपये की राशि जमा नहीं की गई थी। हमारी राय में, न तो अपीलार्थी 19,50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, न ही उस आधार पर कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना पट्टे को रद्द किया जा सकता था। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि अपीलार्थी ने 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उल्लंघन को ठीक कर दिया है, तो 1986 के नियमों के नियम 18 (21) के तहत विचार की गई कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई अवसर नहीं है, यहां तक कि अपीलार्थी से 19,50,000 रुपये के भुगतान का आदेश भी कानून में उचित नहीं था।

जहां तक सकारण आदेश न देने का संबंध है, हम इस मामले पर और अधिक विचार विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। बार में जिन निर्णयों का हवाला दिया गया है, वे इसे एक स्थापित विधिक स्थिति बनाते हैं कि एक सकारण आदेश की आवश्यकता होती है और इसमें कारण होने चाहिए। एक आदेश जो सकारण नहीं है और जिसमें वैधानिक जनादेश का उल्लंघन होने के अलावा कारण नहीं हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का का उल्लंघन है। यद्यपि, विभिन्न कारणों से आदेश का समर्थन करने का प्रयास किया गया

है, फिर भी हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके मामले में **मोहिन्दर सिंह गिल और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में की गई आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर इसका संज्ञान लेने के इच्छुक नहीं हैं कि एक वैधानिक आदेश की वैधता को आदेश की सामग्री से आंका जाना है और उन कारणों को दबाकर उचित नहीं ठहराया जा सकता है जो स्वयं आदेश में नहीं हैं। उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि पट्टे को रद्द करने का आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और कानून में अस्थिर है। इसलिए, विद्वान एकलपीठ पारित आदेश को रद्द करना होगा जिसके द्वारा याचिका अपास्त कर दी गई थी। रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और पट्टे को रद्द करने के आक्षेपित आदेश को भी अवैध ठहराया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और कानून में इसका कोई परिणाम नहीं होता है।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

HEENAGANDHI /107

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।